



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236970  
CG-DL-E-01072022-236970

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2804]  
No. 2804]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/आषाढ़ 9, 1944  
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

**का.आ. 2947(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 831(अ), दिनांक 22 फरवरी 2022, भारत के राजपत्र सं. 802 दिनांक 23 फरवरी 2022 में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्य प्रदेश राज्य में “कांडला - गोरखपुर एल.पी.जी गैस पाइपलाइन परियोजना” हेतु तहसील शमशाबाद, जिला—विदिशा राज्य मध्य प्रदेश में एल.पी.जी गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना सम्बन्धित भू-स्वामियों को तारीख 10.03.2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

गांव का नाम	खसरा नं./ब्लॉक नं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	आरे.	वर्ग.मी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पीपलधार	160	00	17	11
	229	00	07	49
	233	00	00	72
	234	00	15	93
	150	00	00	65
	149	00	11	90
	148	00	07	64
	147	00	02	07
	146	00	00	48
	145	00	20	96
	134	00	03	77
	135	00	09	87
	138	00	14	58
	136	00	07	29
	101	00	13	55
	98	00	13	81
	97	00	05	38
	256	00	27	11
	260	00	05	18
	257	00	09	29
	258	00	07	51
	336	00	00	01
	424	00	02	56
	415	00	24	26

गांव का नाम	खसरा नं./ब्लॉक नं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	आरे.	वर्ग.मी.
	413	00	00	63
	412	00	08	49
	411	00	13	88
	410	00	47	00
	405६3	00	02	37
	405६4	00	07	13
	502	00	17	78
	504	00	17	66
	506	00	04	62
	549	00	09	07
	551	00	06	56
	552	00	29	37
	563	00	09	68
	562	00	06	26
	561	00	04	26
	560	00	00	33

[फा.सं. आर-11025(15)/5/2020-ओआर-1/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2022

**S. O. 2947(E).**—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 831(E) dated 22.02.2022 published in the Gazette No. 802 dated 23.02.2022 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline Project” for the transportation of LPG Gas Pipeline in Tehsil Shamshabad District Vidisha In the state of Madhya Pradesh by IHB Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 10.03.2022 And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

## SCHEDULE

TEHSIL: SHAMSHABAD

DISTRICT: VIDISHA

STATE: MADHYA PRADESH

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Arc	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PIPALDHAR	160	00	17	11
	229	00	07	49
	233	00	00	72
	234	00	15	93
	150	00	00	65
	149	00	11	90
	148	00	07	64
	147	00	02	07
	146	00	00	48
	145	00	20	96
	134	00	03	77
	135	00	09	87
	138	00	14	58
	136	00	07	29
	101	00	13	55
	98	00	13	81
	97	00	05	38
	256	00	27	11
	260	00	05	18
	257	00	09	29
	258	00	07	51
	336	00	00	01
	424	00	02	56
	415	00	24	26
	413	00	00	63
	412	00	08	49
	411	00	13	88
	410	00	47	00
	405/3	00	02	37
	405/4	00	07	13
	502	00	17	78
	504	00	17	66
	506	00	04	62
	549	00	09	07
	551	00	06	56
	552	00	29	37
	563	00	09	68
	562	00	06	26
	561	00	04	26
	560	00	00	33

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-I/E-33881]  
P. SOMAKUMAR, Under Secy.